भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाम केंद्रीय जाँच ब्यूरो

प्रलिम्सि के लयि:

भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI), केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI), दलि्ली वशिष पुलसि स्थापना अधनियिम, 1946, प्रवर्तन नदिशालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल।

मेन्स के लयि:

CBI से संबद्ध चुनौतयिाँ, कानून प्रवर्तन में सुधार, पुलसि सुधार।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एन.वी. रमना ने कहा कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) गंभीर सार्वजनकि जाँच के दायरे में आ गया है। इसके कार्यों एवं नष्कि्रयिता ने इसकी वशि्वसनीयता पर प्रश्नचहि्न लगा दयिा है।

- कानून प्रवर्तन एजेंसयिों में सुधार के प्रयास के रूप में मुख्य न्यायाधीश ने एक अम्ब्रेला, स्वतंत्र एवं स्वायत्त जाँच एजेंसी का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI):

- केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
  - अब CBI कार्मकि, लोक शकियत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मकि एवं प्रशकि्षण वभिाग (DoPT) के प्रशासनकि नयिंत्रण में आती है।
- CBI को दलि्ली वशिष पुलसि स्थापना अधनियिम, 1946 से जाँच संबंधी शक्त प्राप्त होती है।
- भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समति (1962-1964) द्वारा CBI की स्थापना की सफिारशि की गई थी।
- CBI केंद्र सरकार की प्रमुख जाँच एजेंसी है।
  - यह केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल को भी सहायता प्रदान करती है।
  - यह भारत में नोडल पुलसि एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।

CBI से संबद्ध चुनौतयिाँ:

- **राजनीतकि हस्तक्षेप:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने CBI के कार्यकलापों में अत्यधकि राजनीतकि हस्तक्षेप कयि जाने के कारण इसकी आलोचना की थी और इसे "अपने स्वामी की आवाज़ में बोलने वाला पजिराबंद तोता" कहा था।
  - इसका दुरुपयोग प्रायः नवर्तमान सरकार द्वारा अपने गलत कार्यों को छुपाने, गठबंधन के सहयोगयिों पर दबाव बनाने और राजनीतकि वरिोधयिों के उत्पीड़न के लयि कयिा जाता रहा है।
- **अतव्यिापी एजेंसयिाँ: मौजूदा समय में एक ही घटना की कई एजेंसयिों द्वारा जाँच की जाती है, जसिसे अक्सर सबूत कमज़ोर पड़ जाते हैं, बयानों में वरिोधाभास होता है और बेगुनाहों को लंबे समय तक जेल में रखा जाता है।**
- **कर्मयिों की भारी कमी:** इसका एक मुख्य कारण सीबीआई के कार्यबल का सरकार द्वारा कुप्रबंधन है, जो अक्षम और बेवजह पक्षपाती भर्ती नीतयिों के माध्यम से होता है, जसिका इस्तेमाल इच्छति अधकिारयिों को लाने के लयि कयिा जाता है, जो कि संगठन की कार्य क्षमता को प्रभावति करता है।
- **सीमति शक्तयिाँ:** जाँच हेतु CBI के सदस्यों की शक्तयिाँ और अधकिार क्षेत्र राज्य सरकार की सहमति के अधीन हैं, इस प्रकार **CBI द्वारा जाँच की सीमा को सीमति** कयिा जाता है।
- **प्रतबिंधति पहुँच:** केंद्र सरकार के संयुक्त सचवि और उससे उच्च स्तर के कर्मचारयिों पर जाँच या जाँच करने के लयि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति नौकरशाही के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में एक बड़ी बाधा है।

कानून प्रवर्तन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?

- **स्वतंत्र अंब्रेला इंस्टीट्यूशन का निर्माण:** CJI ने CBI, प्रवर्तन निदेशालय और गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय जैसी विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने का प्रस्ताव रखा है।
  - उसके संगठन का नेतृत्व किसी एक समिति द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिये, जिसके द्वार**CBI निदेशक को नियुक्त** किया जाना चाहिये।
  - CJI ने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिये अभियोजन और जाँच हेतु अलग एवं स्वायत्त विंग रखना एक अतिरिक्त अंतर्निहित सुरक्षा है।
  - नियुक्त समिति द्वारा संस्थान **के प्रदर्शन की वार्षिक लेखा परीक्षा के लिये प्रस्तावित कानून** में एक उचित जाँच और संतुलन का प्रावधान होगा।
- **राज्यों और केंद्र के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध:** राज्य सूची के तहत पुलिस तथा सार्वजनिक व्यवस्था एवं जाँच का बोझ मुख्य रूप से राज्य पुलिस पर है।
  - जाँच के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिये राज्य **एजेंसियों को मज़बूत** किया जाना चाहिये।
  - **अम्ब्रेला जाँच निकाय** हेतु प्रस्तावित केंद्रीय कानून को राज्यों द्वारा उपयुक्त रूप से दोहराया जा सकता है।
- **लैंगिक समानता लाना:** आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है।
- सामाजिक वैधता समय की मांग है ताकि सामाजिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास को पुनः प्राप्त किया जा सके एवं इसे हासिल करने के लिये पहला कदम राजनीतिक कार्यपालिका के साथ गठजोड़ को तोड़ना है।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार:** लंबे समय से **लंबित पुलिस सुधारों को लागू** करने और लंबित **मामलों से निपटने की आवश्यकता** है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cji-on-cbi